न्यूज़ टुडे

विश्वास के अभाव (Trust deficit) के कारण नागा शांति प्रक्रिया प्रभावित हो रही है

- नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड–इसाक मुइवा (NSCN-IM) ने मूल दस्तावेज़ से एक मुख्य शब्द (Key word) को हटाए जाने के विरोधस्वरूप **वर्ष 2015 के फ्रेमवर्क समझौते (Framework Agreement: FA) के विवरण सार्वजनिक कर दिए हैं।**
  - ज्ञातव्य है कि NSCN-IM द्वारा हस्ताक्षरित इस फ्रेमवर्क समझौते को **दीर्घावधि से लंबित नागा मुद्दे पर अंतिम समझौते का आधार** बनना था।
- केंद्र सरकार द्वारा 30 जून को **सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958** {Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (AFSPA)} का नागालैंड में अतिरिक्त छह माह हेतु विस्तार कर दिया था।

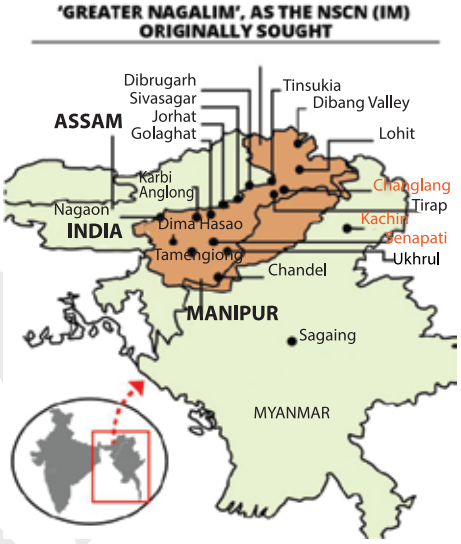

नागालैंड मुद्दा:

- स्वतंत्रता के पश्चात् से ही, नागा समूहों द्वारा अपनी विशिष्ट पहचान पर बल दिया गया है और वे **भारतीय संघ से पृथक होने की मांग** कर रहे हैं।
  - **अंगामी ज़ापू फ़िज़ो** के नेतृत्व में, नागालैंड ने 14 अगस्त 1947 को स्वयं को संप्रभु नागा राज्य घोषित किया था।
- **नागा समूह 60 से अधिक जनजातियों का एक नृजातीय (ethnic) समुदाय है।** ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों (मुख्यतः नागालैंड) और पड़ोसी देश म्यांमार के कुछ हिस्सों में अधिवासित हैं।
- NSCN (IM) द्वारा एक पृथक "ग्रेटर नागालिम" की मांग की जा रही है, जिसमें **नागालैंड के साथ–साथ "सभी समीपवर्ती नागा अधिवासित क्षेत्र"** शामिल हैं। इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कई जिले एवं म्यांमार का एक बड़ा भाग भी सम्मिलित है।
- उनके द्वारा एक **पृथक ध्वज एवं संविधान** की भी मांग की जा रही है।

असम समझौते (Assam Accord) के खंड 6 के कार्यान्वयन पर गृह मंत्रालय (MHA) की समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

- असम में **अवैध प्रवास के विरुद्ध छह वर्ष तक चले आंदोलन (वर्ष 1979–85) के अंत में,** भारत सरकार एवं असम आंदोलन के नेताओं द्वारा असम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- इस समझौते के खंड 6 **(Clause 6)** में उपबंधित किया गया है कि **"असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा एवं संरक्षण तथा प्रोत्साहन के लिए संवैधानिक, विधायी व प्रशासनिक सुरक्षोपाय प्रदान किए जाएंगे"।**
  - **इससे दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, यथा–** ये सुरक्षोपाय क्या होंगे और असम के कौन लोग इसके लिए पात्र होंगे?
  - असम समझौते के अनुसार किसी व्यक्ति को असम में **भारत का नागरिक मानने के लिए 24 मार्च 1971 की कट–ऑफ डेट** निर्धारित की गई थी।
- अब, MHA की समिति के सदस्यों ने **स्वतंत्र रूप से खंड 6 के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट जारी** की है, जिसके अनुसार:
  - **असमिया लोगों की परिभाषा में "1 जनवरी 1951 को या उससे पहले** असम के क्षेत्र में रहने वाले असम की मूल/स्थानीय (indigenous) जनजातियों, अन्य इंडिजनस समुदायों, असम में निवास करने वाले भारत के अन्य सभी नागरिकों तथा इंडिजनस असमिया लोगों और उनके वंशजों को शामिल किया जाना चाहिए।
  - **असमिया लोगों के लिए कुछ विशेष सुरक्षोपाय किए जाने चाहिए,** जैसे– सरकारी नौकरियों में आरक्षण, भूमि अधिकार, भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकार तथा **राज्य के संसाधनों एवं जैव विविधता का संरक्षण।**
  - **असमिया भाषा** राज्य की आधिकारिक भाषा बनी रहेगी।

सरकार के प्रयासों के पश्चात् सौर उपकरणों के विनिर्माण हेतु प्रतिभागियों की संख्या में उछाल

- 10 गीगावॉट (GW) से अधिक क्षमता के नवीन सौर उपकरणों के विनिर्माण हेतु विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों से प्राप्त होने वाले प्रस्ताव, **सौर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान के आरंभिक परिणामों को इंगित करते हैं।**
- भारत का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 100 GW सौर क्षमता स्थापित करना है (अक्टूबर 2019 तक 31GW क्षमता को प्राप्त कर लिया गया था)। घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन से **लागत प्रतिस्पर्धा में सुधार हो सकता है और आयात पर निर्भरता कम हो सकती है।**
- **सौर उपकरणों के आयात को कम करने के लिए हाल ही में उठाए गए कदम:**
  - सौर उपकरणों के आयात पर **20-40% की सीमा** में आधारभूत सीमा शुल्क आरोपित करने का प्रस्ताव किया गया है।
  - सरकार के विभाग और संस्थान **केवल देश में ही विनिर्मित सौर सेल्स और मॉड्यूल्स का क्रय करेंगे।**
  - इनगट्स (ingots), वैफर (wafer) और सेल्स के घरेलू विनिर्माण के लिए **5% ब्याज अनुदान योजना** (interest subvention scheme) प्रस्तावित की गई है।
  - **चीन और मलेशिया से सौर उपकरणों के आयात पर सुरक्षोपाय शुल्कों** (safeguard duties) का अधिरोपण किया जाएगा।
- सौर सेल विनिर्माण की 20GW की मांग के बावजूद, **भारत की वर्तमान औसत वार्षिक विनिर्माण क्षमता केवल 3GW है,** जिसमें लगभग 80% इनपुट्स (सामग्रियां) और घटक चीन से आयात किए जाते हैं।
- **घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के समक्ष समस्याएँ:**
  - सौर सेल विनिर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें **उन्नत प्रौद्योगिकी और अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है।**
  - उल्लेखनीय है **प्रत्येक 8–10 माह में** नवीन सौर सेल प्रौद्योगिकी बाज़ार में उपलब्ध हो जाती है।

हाल के वर्षों में राज्य सभा की कार्यप्रणाली में सुधार परिलक्षित हुआ है

- हाल ही में, उपराष्ट्रपति (राज्य सभा के पदेन सभापति) ने **राज्य सभा की उच्च उत्पादकता के निरंतर बने रहने पर प्रकाश डाला है।**
  - **राज्य सभा की उत्पादकता** 249वें सत्र के दौरान 104%, 250वें सत्र के दौरान 99% और 251वें सत्र के दौरान 76% थी।
  - **विधायी परिणाम:** विगत तीन सत्रों के दौरान 65 से अधिक विधेयक पारित किए गए, जिनमें कुछ प्रमुख विधेयक, जैसे– तीन तलाक विधेयक (Triple Talaq Bill), नागरिकता (संशोधन) विधेयक {Citizenship (Amendment) Bill} आदि भी शामिल हैं।
  - वर्ष 2019–20 के दौरान **स्थायी समिति में सदस्यों की उपस्थिति** 50.73% (वर्ष 2017–19 के दौरान 42.90%) रही है।
- **राज्य सभा एक स्थायी निकाय है और इसका विघटन नहीं किया जा सकता है।** हालांकि, इसके एक–तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यद्यपि, राज्य सभा को लोक सभा की तुलना में अल्प अधिकार प्राप्त हैं, तथापि निम्नलिखित संदर्भों में इसका महत्व परिलक्षित होता है:
  - यह लोक सभा द्वारा शीघ्रता एवं दोषपूर्ण व अविवेकपूर्ण रीति से पारित विधेयकों की समीक्षा और उस पर विचार–विमर्श के माध्यम से ऐसे विधेयकों को नियंत्रित करती है।
  - यह प्रख्यात पेशेवरों और विशेषज्ञों (नाम निर्देशन द्वारा) के प्रतिनिधित्व को साकार करती है। नाम निर्देशन का उद्देश्य यह है कि प्रतिष्ठित लोगों को निर्वाचन में भाग लिए बिना राज्य सभा में स्थान मिले।
  - **यह राज्यों के हितों की रक्षा करके संघीय संतुलन बनाए रखती है।** यह संसद को निम्नलिखित हेतु अधिकृत कर सकती है:
    - राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि निर्माण **(अनुच्छेद 249);**
    - नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन **(अनुच्छेद 312)** आदि।

मॉरीशस, क्षतिग्रस्त जहाज़ से हो रहे अत्यधिक तेल रिसाव को नियंत्रित करने के लिए संघर्षरत है

- मॉरीशस ने अपने तट से दूर एक दुर्घटनाग्रस्त जहाज से समुद्र में कच्चे तेल के अतिशय रिसाव के कारण देश में **पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति** घोषित की है।
  - ज्ञातव्य है कि तेल महासागरों के **सर्वाधिक प्रमुख प्रदूषकों** में से एक है। लगभग 3 मिलियन मीट्रिक टन तेल महासागरों को प्रतिवर्ष प्रदूषित करता है।
- **मॉरीशस पर प्रभाव:**
  - पारिस्थितिक: मॉरीशस के **पॉइंट डिज़्नी (Pointe d'Esny)** क्षेत्र में यह दुर्घटना हुई है। इस क्षेत्र में दुर्लभ एवं स्थानिक वन्यजीवों के लिए अभयारण्यों की बहुलता है तथा प्राचीन संरक्षित प्रवाल भित्तियों, मैंग्रोव वनों और इंडेंजर्ड प्रजातियों के संरक्षणार्थ एक समुद्री उद्यान भी है।
  - **आर्थिक:** मॉरीशस खाद्य और पर्यटन के लिए मुख्य रूप से अपने समुद्र पर निर्भर है। तेल रिसाव से पर्यावरणीय पर्यटन (ईको–टूरिज़्म) के स्थायी रूप से नष्ट होने की संभावना उत्पन्न हुई है।
- **किए जा सकने योग्य उपाय:**
  - तेल रिसाव को रोकने या कम करने के लिए तेल रिसाव क्षेत्र के स्रोत बिंदु के चारों ओर **फ्लोटिंग बूम्स (तैरते अवरोधक)** को स्थापित किया जा सकता है।
  - विभिन्न अवशोषकों (sorbents) (जैसे– पुआल, ज्वालामुखीय राख और पॉलिएस्टर–से निर्मित प्लास्टिक के महीन खंड) का उपयोग किया जा सकता है, जो जल से तेल को अवशोषित करते हैं।
  - जल की सतह से दूषित पदार्थों को हटाने के लिए **नौकाओं पर स्किमर्स या ऑयल स्कूप्स स्थापित किए जा सकते हैं।**

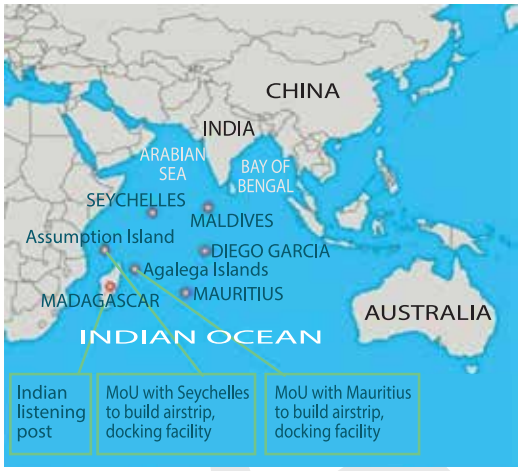

अन्य सुर्ख़ियाँ

RBI ने शहरी सहकारी बैंकों से 'प्रणाली–आधारित परिसंपत्ति वर्गीकरण' को लागू करने का निर्देश दिया है {RBI asks Urban Co-operative Banks (UCBs) to implement System-Based Asset Classification (SBAC)}	❍ **SBAC** का आशय बैंकों की स्वचालित तरीके से संचालित कंप्यूट्रीकृत प्रणाली के माध्यम से निरंतर आधार पर **परिसंपत्तियों के वर्गीकरण (परिसंपत्तियों के मूल्यों में गिरावट और वृद्धि दोनों के संदर्भ में)** से है। ➢ इसका उद्देश्य परिसंपत्ति वर्गीकरण की प्रक्रिया में **दक्षता व पारदर्शिता सुनिश्चित करना और अखंडता में सुधार करना** है। ❍ वैसे UCBs जिनकी कुल परिसंपत्तियां 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक हैं तथा जो निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें **वर्ष 2021 से SBAC को क्रियान्वित करना है।** ➢ हालिया बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश 2020 {Banking Regulation (Amendment) Ordinance 2020} ने RBI को UCBs पर अधिक नियामक शक्तियां प्रदान की हैं।
कोविड–19 वैक्सीन प्रोटोकॉल पर गठित सरकारी पैनल द्वारा इसके वितरण तंत्र पर विचार–विमर्श किया गया (Government panel on COVID-19 vaccine protocol discusses delivery mechanism)	❍ हाल ही में, कोविड–19 के लिए **वैक्सीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह** की प्रथम बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई: ➢ **इन्वेंटरी (माल–सूची) प्रबंधन** और वैक्सीन की वितरण व्यवस्था के लिए एक **डिजिटल अवसंरचना के निर्माण हेतु** तंत्र पर विचार–विमर्श किया गया। ➢ विशेषज्ञ समूह ने **सभी राज्यों को यह सुझाव दिया है कि वे खरीद के लिए भिन्न–भिन्न मार्गों का अनुसरण** न करें। ➢ इस बैठक में टीकाकरण के लिए **जनसंख्या के विभिन्न समूहों की प्राथमिकता तय करने के लिए** मार्गदर्शक सिद्धांतों पर चर्चा की गई। ➢ कोविड–19 वैक्सीन की ख़रीददारी के लिए **अपेक्षित वित्तीय संसाधनों** और इसके वित्त–पोषण के लिए विभिन्न विकल्पों के बारे में चर्चा की गई। ➢ कोविड–19 वैक्सीन के लिए **खरीद तंत्र** आदि पर चर्चा की गई।
अगली पीढ़ी की अनुक्रमण (NGS) मशीनें {Next Generation Sequencing (NGS machines)	❍ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research: CSIR) **"मेगा लैब्स"** को विकसित करने में संलग्न है। इन लैब्स में सार्स कोव–2 (SARS-CoV-2) नोवल कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए **NGS मशीनों का उपयोग किया जाएगा।** ❍ **NGS** वस्तुतः DNA अनुक्रमण की एक तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से संपूर्ण मानव जीनोम को एक ही दिन में अनुक्रमित किया जा सकता है। ❍ **NGS मशीन के कार्य:** ➢ इसके द्वारा **वायरस की संभावित उपस्थिति का भी पता लगाया जाता है,** जिसमें पारंपरिक RT-PCR प्रणाली विफल हो जाती है। ➢ यह **वायरस के विकासक्रम को ट्रेस करने के** साथ–साथ उसके उत्परिवर्तन (mutations) की अधिक सुव्यवस्थित रीति से निगरानी करती है।
वनों के ह्रास से हॉर्नबिल के समक्ष खतरा उत्पन्न हुआ है (Forest loss threatens hornbills)	❍ उपग्रह द्वारा प्रेषित आंकड़ों ने **पापुम रिज़र्व फॉरेस्ट (Papum Reserve Forest: PRF)** में वनोन्मूलन की खतरनाक दर को इंगित किया है। ➢ PRF, **हॉर्नबिल की तीन प्रजातियों का एक नेस्टिंग (घोंसला बनाना) हैबिटैट है।** ये हैं– ग्रेट हॉर्नबिल, रीथड (Wreathed) हॉर्नबिल और ओरिएंटल पाइड (Oriental Pied) हॉर्नबिल। ➢ PRF अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य (पूर्व) और पक्के वन्यजीव अभयारण्य (पश्चिम) के मध्य अवस्थित है। ❍ उष्णकटिबंधीय वृक्षों के **बीजों के प्रसार में हॉर्नबिल की मुख्य भूमिका** होती है। इस कारण इन्हें **'फॉरेस्ट इंजीनियर' या 'वन के किसान'** के रूप में भी संबोधित किया जाता है। ➢ भारत में हॉर्नबिल की **नौ प्रजातियां** पाई जाती हैं, जिनमें से **चार पश्चिमी घाट** में पाई जाती हैं।
समुद्री घास (Seagrasses)	❍ **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम** (United Nations Environment Programme: UNEP) की एक हालिया रिपोर्ट में पर्यावरण और लोगों के लिए समुद्री घास के महत्व को रेखांकित किया गया है। ❍ समुद्री घास वस्तुतः **समुद्री पुष्पीय पादप** (marine flowering plants) होते हैं, जो उष्णकटिबंध से लेकर आर्कटिक वृत्त तक उथले जल में पाए जाते हैं। ❍ **लाभ:** ये विभिन्न प्रकार से लोगों के कल्याण में योगदान करती हैं, यथा– खाद्य सुरक्षा (मत्स्य उत्पादन के कारण); बेहतर जल गुणवत्ता; अपरदन, तूफान और बाढ़ से तटों की सुरक्षा; कार्बन प्रच्छादन (sequestration) और भंडारण आदि। ❍ **1930 के दशक** से ही समुद्री घास में **वैश्विक स्तर पर गिरावट** दृष्टिगोचर हो रही है। एक अनुमान के अनुसार, वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष 7% समुद्री घास लुप्त होती जा रही हैं।
लक्षद्वीप प्रवाल (Lakshadweep corals)	❍ एक हालिया अध्ययन में उल्लेख किया गया है कि उत्तरी हिंद महासागर में पाए जाने वाले प्रवाल **भारतीय मानसून पर नव अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।** ➢ **प्रवाल की सतह पर विकसित होने वाले बैंड** (Bands) (प्रवाल हेतु रोग के कारक) पुराजलवायुविक (paleoclimatic) परिस्थितियों, वर्षा, परिवेशी जल तापमान तथा विगत युग के इसी प्रकार के अन्य पहलुओं को प्रकट करते हैं। ❍ प्रवाल भित्तियां **व्यापक जलमग्न संरचनाएं** होती हैं। समुद्री अकशेरुकी जीवों (अर्थात् प्रवालों) के समूहबद्ध कंकालों से इनका निर्माण होता है।) ❍ भारत में प्रमुख प्रवाल भित्ति संरचनाएँ **मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी (Palk bay), कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप** में पाई जाती हैं।